न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —11/2019

अनवान : —

1. सोनू पूनियां पुत्री श्री पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—श्री नरेन्द्र शर्मा **प्रार्थी**
पेरोकार राज **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 16/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं 323/313 के खसरा सं 315, 316, 322/700, 550, 586, 587, 673/712 की कुल 27.9560 है0 कृषी भूमि प्रार्थीया की मुश्तर्का खाते में खातेदारी कृषी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम सन्जु पुत्री पृथ्वी दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम सोनू पुत्री पृथ्वी है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, अकं तालिका एवं अन्य सभी दस्तावेज सोनू नाम से ही है। प्रार्थीया का सभी दस्तावेजों में नाम सोनू पुत्री पृथ्वी ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सन्जु पुत्री पृथ्वी की जगह सोनू पुत्री पृथ्वी की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थीया में सोनू पुत्री पृथ्वी निवासी डाबडी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम डाबडी सवत 2071 खाता सं 313 प्रदर्श 1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबडी प्रदर्श 2 व चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक तालिका आदि प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थीया ने रोही मौजा डाबडी के खाता सं 323/313 के खसरा सं 315, 316, 322/700, 550, 586, 587, 673/712 की कुल 27.9560 है0 कृषी भूमि प्रार्थीया की मुश्तर्का खाते में खातेदारी कृषी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम दर्ज करते समय सवंहन से सोनू की जगह सन्जु पुत्री पृथ्वी दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीया का सही नाम सोनू पुत्री पृथ्वी है। प्रार्थीया ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो सोनू पुत्री पृथ्वी नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थीया अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं 323/313 के खसरा सं 315, 316, 322/700, 550, 586, 587, 673/712 की कुल 27.9560 है0 कृषी भूमि प्रार्थीया की मुश्तर्का खाते में खातेदारी कृषी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थीया का सही नाम **सन्जु पुत्री पृथ्वी की जगह सोनू पुत्री पृथ्वी** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ